निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 पौष 1944 (श0)

(सं0 पटना 58) पटना, शुक्रवार, 13 जनवरी 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी 2023

सं० एल०जी०–01–20/2022–375/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 08 जनवरी, 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2022
(बिहार अधिनियम 05, 2023)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–435 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 435 के उपधारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(3) नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने हेतु पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस निर्गत करेगा। पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध के संबंध में नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को कारण सहित संतुष्ट करने में विफल रहने पर नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण/अवरोध हटाने का आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाया जा सकेगा और संबंधित अतिक्रमणकर्त्ता को जुर्माना से दंडित कर सकेगा अथवा ऐसे अतिक्रमण को हटाने में होनेवाले व्यय की वसूली अतिक्रमणकर्त्ता से किया जा सकेगा। दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होने की स्थिति में ऐसे अतिक्रमणकर्त्ता से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जायेगी।

परन्तु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को चौबीस घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी।''

13 जनवरी 2023

सं० एल०जी०–01–20/2022–**376/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक- 8 जनवरी, 2023 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम, 05, 2023**) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022
(Bihar Act 25, 2023)

AN
Act

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11,2007).

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment of Section-435 of Bihar Act 11, 2007:-

(i) Sub-Section (3) of Section 435 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be substituted by following:-

"(3) The Municipal Officer or the authorized officer shall issue fifteen days prior notice for the removal of such permanent encroachment and obstruction. In case of failure to satisfy the municipal officer or authorized officer with reasons regarding such permanent encroachment or obstruction within fifteen days, the encroachment may be removed by passing an order to remove encroachment/obstruction by the municipal officer or authorized officer and the concerned encroacher may be punished

with Penalty and the cost of removal of such encroachment will be recovered from the encroacher. In case of not recovered the amount of Punishment and penalty, then as arrears of holding from such encroacher.

Provided that the municipal officer or the authorized officer may remove the temporary encroachment and obstruction by giving twenty four hours notice."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 58-571+400-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in